20/11/24.

पत्रावली पेश हुई। पक्षकार प्रार्थी हाजिर गई। तहसीलदार रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजों के आधार पर निर्णय बाबत अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश 28/11/24 को पेश हो।

20/11/24.

28/11/24.

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है -

प्रार्थी ईदमोहम्मद आत्मज रहीम बख्श द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act 1956 इस बाबत प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के पिता रहीम बख्श व वल्दीद तथा नासीरमोहम्मद पिता श्री अहमद की खातेदारी में

अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ...
	भू. नम्बर से पूर्व ग्राम ... भू. नम्बर रकबा (बीघा) ... ख.नं. 346 दर्ज निकाई गयी। जमा- आराजी दर्ज निकाई गयी। ... में उक्त आराजी संवत् 2035-38 में उक्त आराजी खातेदारी में दर्ज गयी। वर्तमान बन्दोबस्त में भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा गत खसरा नं. 346 के नये खसरा नं. 1229/0.25 कायम किए गए तथा खातेदारी के स्थान पर उक्त आराजी को गैरखातेदारी में दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा अनुरोध किया गया कि भू. प्रबन्ध द्वारा किए गए त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरुस्त किया जावे तथा उक्त आराजी के सम्बन्ध में गैरखातेदार शब्द को शुद्ध कर खातेदार किया जावे। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ खातेदारी सनद सं. 1212 बाबत ग्राम कैथून, जमाबन्दी संवत् 2035-38, इन्तकाल नं. 970, मिलान क्षेत्रफल 2038-57,

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड ... कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

	नम्बर व तारीख अहकाम जो किता हुक्म की तामील में जारी हुए
जमाबन्दी संवत् 2069-72, जमाबन्दी संवत् 2065-68 प्रस्तुत किए गए हैं। मौकापत्र दर्ज भर आराजी तहसीलदार, भोजपुरा से प्रतिउत्तर प्राप्त किया गया, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार भोजपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित किया गया है कि ग्राम कैन्दून की आराजी ख.नं. 1221 रकबा 0.25 Hect वर्तमान में रहीम बख्श, मजीद, नसीरमोहम्मद पि. अहमद, मुसलमान सा. देह गैरखातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसके सेटलमेन्ट पूर्व ख.नं. 356 रकबा एक बीघा 6 बिस्वा था। उक्त भूमि का खातेदारी पट्टा दिनांक 27.5.1978 को श्रीमान अति. जिला कलेक्टर उपनिवेशन कोटा द्वारा जारी किया गया था। जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 770 दर्ज किया जाकर संवत् 2035-38 की जमाबन्दी में उक्त आराजी पर खातेदारी दर्ज की जा चुकी थी। किन्तु सेटलमेन्ट बाद पुनः नवीन खसरा व.	

उपखण्ड अधिकारी
को.

0.25 हे. पर

1229 रकबा

दर्ज कर दी गई है।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रकरणगत

तहसीलदार बाबत भी स्पष्ट रिपोर्ट

पर कब्जा बाबत है कि प्रकरणगत खसरा नं.

प्रस्तुत की गई है कि [illegible] मृतक खातेदार

पर मौके पर रहने से दर्ज मृतक [illegible] काबिज

[illegible] के पुत्र [illegible] मोहम्मद काबिज

है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह

कारण है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह

भी स्पष्ट किया गया है कि पारिवारिक

बँटवारे के आधार पर [illegible] मोहम्मद द्वारा

खसरा नं. 1229 रकबा 0.25 हे. पर काबिज

की जा रही है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा तहसील रिपोर्ट

व संलग्न दस्तावेजों के आधार पर

निर्णय बाबत अनुरोध किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों

का आद्योपान्त अध्ययन किया।

दस्तावेजों व तहसील रिपोर्ट के अवलोकन

से स्पष्ट है कि -

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

7/ सैटलमैन्ट से पूर्व ग्राम कैथून की ख.नं. 356 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा हीम बक्श, मजीद, नजीर मोहम्मद पिता अहमद कौम मुसलमान सा. देह दर्ज रिकार्ड थी।

6/ श्रीमान अति. जिला कलेक्टर महोदय (उपनिवेशन) कोटा द्वारा खातेदारी सनद नं. 1212 से हस्तगत खसरा नम्बर (87/5/78) पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए।

8/ खातेदारी सनद नं. 1212 की पालना में ग्राम कैथून में नामान्तरकरण सं. 770 दर्ज किया गया। तथा गैर खातेदार के स्थान खातेदार दर्ज किया गया।

9/ नामान्तरकरण सं. 770 का जमाबन्दी में अमल संवत् 2035-38 से पूर्व ही हुआ था। क्योंकि जमाबन्दी संवत 2035-38 में हीम बक्श, मजीद, नजीर मोहम्मद पिता अहमद को खातेदार दर्शाया गया है तथा नामान्तरकरण सं.

न्यायालय ... कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	770 के अमल का नोट अंकित है। 6/ मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038-57 के अनुसार गत खसरा नं. 346 का नवीन खसरा नं. 1229 रकबा 0.25 Hec बनाया गया है। 7/ जमाबन्दी संवत् 2015-18 से प्रमाणित है कि मृ. निष्क्रम उपरान्त हस्तगत ख.नं. को गैरखातेदार दर्ज कर दिया गया। उक्त परिस्थितियों में जबकि हस्तगत खसरा नम्बर पर खातेदारी सनद 1212 दिनांक 27/5/78 द्वारा खातेदारी दिया जाना प्रमाणित है, उक्त खातेदारी सनद की पालना में नामान्तरकरण संख्या 770 दर्ज किया जाना प्रमाणित है, उक्त नामान्तरकरण का जमाबन्दी संवत् 2035-38 में अमल होना प्रमाणित है, इस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAct स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

...ाही मय इमिशियल्स अज | हुक्म ... में जारी हुए

अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAct-1956 स्वीकार कर आदेश दिए जाते हैं कि ग्राम कैथून की आराजी खसरा नं. 1229 पर दौरान सेटलमेन्ट किए गए त्रुटिपूर्ण इन्द्राज गैरखातेदार को दुरुस्त कर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार शब्द दर्ज किया जावे।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

28/11/24

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड ... कोटा